

कार्यालय वनसंरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी (म.प्र.)

00 आदेश 00

क्रमांक/कैम्पा/2015/251

शिवपुरी, दिनांक 23⁹/₁₅

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/621/03/नियम/चार/भोपाल दिनांक 3-9-2003 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लोअर और बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के एवज में दुगने बिगड़े वन क्षेत्र की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की 10 वर्षीय वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक की वनमंडलाधिकारी, अशोकनगर के पत्र क्रमांक/डी.एम./4345 दिनांक 22-9-2015 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (है0 में)	प्रथम वर्ष वृक्षारोपण कार्य की राशि	दस वर्ष वृक्षारोपण कार्य की राशि	कुल वृक्षारोपण कार्य की राशि (आस्था मूलक, मानव संसाधन विकास, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण राशि सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चन्देरी	नयाखेडा	PF- 191	30	4097000	8671974	12877881
2	चन्देरी	बत्तीसी बाबडी	RF-120	50	5352000	11628428	17268216
3	चन्देरी	कनावटा पूर्व	RF- 157	50	5352000	11628428	17268216
4	चन्देरी	भोजपुर	RF- 125	50	5352000	11628428	17268216
5	चन्देरी	नानोन	RF- 99	30	4097000	8671974	12877881
6	चन्देरी	बेहटी	RF- 152	50	5352000	11628428	17268216
7	चन्देरी	डुंगासरा	RF- 172	50	5352000	11628428	17268216
8	चन्देरी	नगावार	RF- 143	50	5352000	11628428	17268216
9	चन्देरी	नावनी	PF- 189	30	4097000	8671974	12877881
10	चन्देरी	कडराना	RF- 165	50	5352000	11628428	17268216
11	चन्देरी	कटाखेडा	RF- 162	30	5352000	11628428	17268216
12	चन्देरी	विक्रमपुर उत्तर	RF- 146	30	5352000	11628428	17268216
13	चन्देरी	गढपिछवाडा	RF- 137	50	5352000	11628428	17268216
14	मुंगावली	फतेहाबाद	PF- 307	50	5445540	12381930	18387167
15	मुंगावली	दमदमा	PF- 289	50	5399142	12335532	18318265
16	मुंगावली	डांगबरखेडा	RF- 265	50	5401584	12337974	18321891
17	मुंगावली	कौंचा	PF- 296, 297	39	4120415	10394134.2	15435289
18	अशोकनगर	वीठला	RF- 63	50	5995160	12621550	18743002
19	अशोकनगर	अमोला	RF-61	50	6001496	12627886	18752411
20	अशोकनगर	धूबोन	RF- 45	50	5978369	12604760	18718069
21	अशोकनगर	मामोन	RF- 28	50	6007832	12634222	18761820
22	अशोकनगर	नयागांव	PF- 82	50	5968865	12595255.6	18703955
23	अशोकनगर	जमडेरा	RF- 26, 27	50	5918865	12545255.6	18629705
24	अशोकनगर	नीमखेडा	RF- 37	50	5972033	12598423.5	18708659

25	अशोकनगर	सूरेल	RF- 39	50	6001496	12627886	18752411
26	अशोकनगर	बरोदिया	RF- 48	50	5995160	12621550	18743002
27	अशोकनगर	बखतर	PF- 74	50	5972033	12598423.6	18708659
28	अशोकनगर	डेंगा-1	RF- 14	50	5932488	12558878	18649934
29	अशोकनगर	डेंगा-2	RF- 14	50	5932488	12558878	18649934
30	अशोकनगर	मौचार	PF- 81	50	5968865	12595255.6	18703955
कुल योग :-				1389	163822831	353537996	525003928

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :-

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर/श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाय एवं समय-समय पर फोटोग्राफ लेकर चरपा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट, राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अथवा अन्यथा की स्थिति में आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाये।
8. कय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाये।
9. समय-समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण/मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक/त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. कार्य समाप्ति उपरान्त कार्य समाप्ति प्रतिवेदन भेजें।

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

पृ.कमांक/कैम्पा/2015/4851
प्रतिलिपि:-

शिवपुरी, दिनांक : 23.9.15

1. महालेखाकर, म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, अशोकनगर की ओर उक्त अनुमोदित प्रोजेक्टों की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

4. वरिष्ठ मानचित्रकार, वृत्त कार्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

कार्यालय वनसंरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी (म.प्र.)

00 आदेश 00

क्रमांक/कैम्पा/2015/2870

शिवपुरी, दिनांक : 14-11-15

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/621/03/नियम/चार/भोपाल दिनांक 3-9-2003 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लोअर और बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के एवज में दुगने बिगड़े वन क्षेत्र की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की 10 वषीय वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक की वनमंडलाधिकारी, अशोकनगर के पत्र क्रमांक/डी.एम./4345 दिनांक 22-9-2015 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश क्र/251 दिनांक 23.09.2015 से प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति में से वनमण्डलाधिकारी अशोकनगर के पत्र क्र/डी.एम./15/5135 दिनांक 10.11.15 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार क्रमांक 12 की दी गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हे० में)	प्रथम वर्ष वृक्षारोपण कार्य की राशि	दस वर्ष वृक्षारोपण कार्य की राशि	कुल वृक्षारोपण कार्य की राशि (आस्था मूलक, मानव संसाधन विकास, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण राशि सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	चन्देरी	विक्रमपुर उत्तर	RF- 146	30	4081000	8655974	12854122

साथ ही उक्त आदेश क्रमांक 251 दिनांक 23.09.2015 के क्रमांक 1, 5, 24 एवं 27 में कॉलम क्रमांक 8 में कुल वृक्षारोपण कार्य की राशि रू० 12877881/-, 12877881/-, 18708659/- एवं 18708659/- के स्थान पर क्रमशः राशि रू० 12877882/-, 12877882/-, 18708660/- एवं 18708660/- तथा क्रमांक 11 के कॉलम क्रमांक 6, 7 एवं 8 की राशि क्रमशः रू० 5352000/-, 11628428/- एवं 17268216/- के स्थान पर क्रमशः राशि रू० 4081000/-, 8655974/- एवं 12854122/- तथा क्रमांक 14 के कॉलम क्रमांक 3 में स्थल का नाम फतेहाबाद के स्थान पर फतेहपुर पढ़ा जावे ।

उपरोक्तानुसार दी गई संशोधित तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :-

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर/श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाय एवं समय-समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अथवा अन्यथा की स्थिति में आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाये।

8. कय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाये।
9. समय-समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण/मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक/त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. कार्य समाप्ति उपरांत कार्य समाप्ति प्रतिवेदन भेजें।


(आनन्द कुमार)
मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

पृ.कमांक/कैम्पा/2015/7271

शिवपुरी, दिनांक : 14-11-15

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकर, म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
 2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
 3. ✓ वनमंडलाधिकारी, अशोकनगर की ओर उक्त अनुमोदित प्रोजेक्टों की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- संलग्न-उपरोक्तनुसार।
4. वरिष्ठ मानचित्रकार, वृत्त कार्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

कार्यालय वनसंरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी (म.प्र.)

00 आदेश 00

क्रमांक/कैम्पा/2015/280

शिवपुरी, दिनांक : 14-11-15

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/621/03/नियम/चार/भोपाल दिनांक 3-9-2003 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लोअर और बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के एक्ज में दुगने बिगडे वन क्षेत्र की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की 10 वर्षीय वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक की वनमंडलाधिकारी, अशोकनगर के पत्र क्रमांक/डी.एम./4345 दिनांक 22-9-2015 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश क/251 दिनांक 23.09.2015 से प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति में से वनमण्डलाधिकारी अशोकनगर के पत्र क्र/डी.एम./15/5135 दिनांक 10.11.15 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार क्रमांक 12 की दी गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

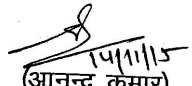
क्रांक	परिक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	कक्षा क्रमांक	रकबा (हे० में)	प्रथम वर्ष वृक्षारोपण कार्य की राशि	दस वर्ष वृक्षारोपण कार्य की राशि	कुल वृक्षारोपण कार्य की राशि (आस्था मूलक, मानव संसाधन विकास, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण राशि सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	चन्देरी	विक्रमपुर उत्तर	RF- 146	30	4081000	8655974	12854122

साथ ही उक्त आदेश क्रमांक 251 दिनांक 23.09.2015 के क्रमांक 1, 5, 24 एवं 27 में कॉलम क्रमांक 8 में कुल वृक्षारोपण कार्य की राशि रू० 12877881/-, 12877881/-, 18708659/- एवं 18708659/- के स्थान पर क्रमशः राशि रू० 12877882/-, 12877882/-, 18708660/- एवं 18708660/- तथा क्रमांक 11 के कॉलम क्रमांक 6, 7 एवं 8 की राशि क्रमशः रू० 5352000/-, 11628428/- एवं 17268216/- के स्थान पर क्रमशः राशि रू० 4081000/-, 8655974/- एवं 12854122/- तथा क्रमांक 14 के कॉलम क्रमांक 3 में स्थल का नाम फतेहाबाद के स्थान पर फतेहपुर पढ़ा जावे।

उपरोक्तानुसार दी गई संशोधित तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :-

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर/श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाय एवं समय-समय पर फोटोग्राफ लेकर चरप्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अथवा अन्यथा की स्थिति में आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाये।

8. कय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाये।
9. समय-समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण/मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक/त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. कार्य समाप्ति उपरान्त कार्य समाप्ति प्रतिवेदन भेजें।

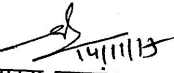

(आनन्द कुमार)
मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

पू.कमांक/कैम्पा/2015/7271

प्रतिलिपि:-

शिवपुरी, दिनांक : 14-11-15

1. महालेखाकर, म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. ✓ वनमंडलाधिकारी, अशोकनगर की ओर उक्त अनुमोदित प्रोजेक्टों की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- संलग्न-उपरोक्तनुसार।
4. वरिष्ठ मानचित्रकार, वृत्त कार्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी